राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरानं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
Email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांकः एफ 61(418) SSAAT/SA/SRP/DRP Meeting/2025-26/ दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षरित

जिला संसाधन व्यक्तियों की समीक्षात्मक बैठक का कार्यवाही विवरण

श्रीमान् निदेशक महोदय, SSAAT की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2025 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में जिला संसाधन व्यक्तियों के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे :–

(1) श्री रतन लाल वर्मा, मुख्यलेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष SSAAT
(2) श्री विजय सिंह, प्रोग्रामर, SSAAT
(3) श्री संतोष सिंह, सामाजिक विकास विशेषज्ञ, SSAAT
(4) श्री राकेश भार्गव, राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT
(5) श्रीमती सोनिया साहू, राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT
(6) श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT
(7) श्री अभिषेक सिसोदिया, राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT
(8) श्री इकबालुद्दीन, राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT
(9) श्रीमती सबा हाशमी, राज्य संसाधन व्यक्ति, SSAAT

बैठक में जिला संसाधन व्यक्तियों के कार्यो की एजेण्डावार समीक्षात्मक चर्चा की गई, बैठक में विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त निदेशक महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गए :–

क्र. स.	एजेंडा बिंदु	कार्यवाही बिन्दु	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिनको कार्यवाही की जानी हैं।
1.	वर्ष 2022–23, 2023–24 2024–25 एवं 2025–26 की ए.टी.आर. अपलोड एवं वसूली की स्थिति।	1. समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को उनके जिलों में लम्बित ATR को सम्बन्धित कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से शीघ्र अपलोड किये जाने के निर्देश दिए गए। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाये गए इश्यूज/ अनियमितताओं में कार्यकारी संस्था के स्तर पर कमेटी गठित कर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अनुपालना/ATR अपलोड करावायेंगे। जिसमें कमेटी गठन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक का स्पष्ट अंकन किया जावे तथा कमेटी की अनुशंषा के आधार पर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख हो। उक्त के अनुसरण में समस्त जिलों के जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा लम्बित अनियमितताओं की अनुपालना रिपोर्ट/ATR को 8 दिसम्बर 2025 तक अपलोड कर दिए जाने हेतु आश्वस्त किया गया। सम्बन्धित SRP को इसकी मोनिटिरिंग किये जाने एवं एसडीएस को जिलो की समेकित रिपोर्ट दिनांक 10 दिसम्बर 2025 तक प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये है।	C.A.O. VIJAY SINGH (PROGRAMMER) SDS/ SRP's /DRP's

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.12.03 18:07:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19191531

		2. जिन जिलों के ATR के इश्यूज DPC/State एवं EGS के स्तर पर लम्बित है, उन इश्यूज को कार्यकारी एजेन्सी (P.O. Level) पर हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही श्री विजय सिंह, प्रोग्रामर, SSAAT के द्वारा की जावेगी, तत्पश्चात् संबंधित जिला संसाधन व्यक्ति लम्बित ATR को अपलोड कर रिपोर्ट संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति को उपलब्ध करवायेंगे एवं संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति उक्त रिपोर्टस को समेकित कर निदेशक महोदय को उपलब्ध करायेंगे। बांरा, चूरू, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के लम्बित ATR के संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुरू को अर्द्वशासकीय पत्र लिखने के निर्देश प्रदान किये। जिन जिलों में जिला संसाधन व्यक्ति कार्यरत नहीं है, उन जिलों में संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति द्वारा परियोजना अधिकारी (लेखा), के साथ वार्ता कर ATR अपलोड करवाने की कार्यवाही की जावेगी। 3. निदेशक महोदय के द्वारा समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को निर्देश दिए गए कि वे वित्तीय अनियमितताओं के अलावा समस्त प्रकरणों को संबंधित दस्तावेज एवं साक्ष्यों के साथ, तथ्यपरक अनुपालना होने पर निदेशक महोदय की सहमति प्राप्त कर Closed कर सकेंगें। बिना संबंधित दस्तावेज एवं साक्ष्यों के प्रकरणों को निस्तारित नहीं करेंगे। पूर्व में इश्यूज को जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा किस आधार पर क्लोज किया गया है उसकी सूचना एवं अनुपालना रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। SSAAT के द्वारा निस्तारित किये जाने वाले प्रकरणों की सूचना संबंधित जिला संसाधन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जायेगी।	
2.	सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड की स्थिति।	1. समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को ग्राम सभा सम्पन्न होने के बाद सात दिवस में नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड़ किये जाने के निर्देश दिए गए। जिन जिलों में जिला संसाधन व्यक्ति नहीं है उनमें संबंधित राज्य संसाधन व्यक्ति उक्त कार्यो को ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के द्वारा करवायेंगे। जिन ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के पास सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट है, उनसे प्राप्त कर शीघ्र नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड़ करायेंगे। जो ब्लाक संसाधन व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवा रहे है, उनके विरूद्ध आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही की जावे। जिन ग्राम पंचायतो की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नही हुई है, उनसे सम्बंधित BRPs को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जाये तथा सम्बधित जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मंगवा कर नरेगा सॉफ्ट उपलोड करने की कार्यवाही की जाये।	SDS/ SRP's /DRP's

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.12.03 18:07:00 IST
Reason: Approved

		2. समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामसभा के दिन अपने जिले की किन्ही तीन ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। तथा उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में राज्य संसाधन व्यक्तियों को प्रेषित करेंगे। 3. समस्त जिला संसाधन व्यक्ति आगामी सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर अनुसार पर्यवेक्षण हेतु अग्रिम टूर प्रोग्राम परियोजना अधिकारी (लेखा) से अनुमोदन करवाकर राज्य मुख्यालय पर भेजेंगे तथा उसकी एक प्रति C.E.O. तथा एक प्रति निजी सचिव निदेशक SSAAT को प्रेषित करेंगे। पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों की रिपोर्ट बनाकर संबंधित राज्य संसाधन व्यक्तियों को प्रेषित करेंगे।	
3.	ग्राम संसाधन व्यक्तियों के वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के मानदेय से संबंधित।	1. वित्तीय वर्ष 2023–24 का सामजिक अंकेक्षण किये जाने के उपरान्त BRP/VRP के मानदेय के संबंध में वांछित सूचना अधिकाशतः जिलों से SSAAT को प्राप्त हो चुकी है। बांसवाड़ा के दो ब्लॉक, कोटा के चार ब्लॉक, पाली के दो ब्लॉक एवं उदयपुर जिलों की सम्पूर्ण सूचना अभी अप्राप्त है। इस संबंध में उक्त जिलों के परियोजना अधिकारी (लेखा) से CAO वार्ता करेंगे। प्राप्त सूचना के आधार पर बकाया मानदेय का भुगतान किया जाना प्रक्रियाधीन है। बकाया सूचना समस्त जिला संसाधन व्यक्ति 8 दिसम्बर 2025 तक संबंधित राज्य संसाधन व्यक्तियों को उपलब्ध करायेंगे,प्राप्त सूचना के आधार पर नरेगा प्रभारी SSAAT द्वारा भुगतान स्वीकृति 10 दिसम्बर 2025 तक लेखा शाखा को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। लेखा शाखा को भी शीघ्र भुगतान किये जाने के निर्देश दिए गए है।	C.A.O./ लेखा शाखा SRP's /DRP's
4.	पंचायत निर्णय एप से सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दौरान किये गये पर्यवेक्षण सम्बन्धित रिपोर्ट्स	1. समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को पंचायत निर्णय एप के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के निर्देश दिए गए। सामाजिक अंकेक्षण निरस्त होने, सामाजिक अंकेक्षण में BRP/VRP के लगातार अनुपस्थित रहने, पंचायत निर्णय एप के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण नहीं होने की रिपोर्ट प्रत्येक जिला संसाधन व्यक्ति संबंधित राज्य संसाधन व्यक्तियों को उपलब्ध करावायेंगे। राज्य संसाधन व्यक्ति प्राप्त रिपोर्टस को समेकित कर निदेशक महोदय को उपलब्ध करायेंगे। 2. सामाजिक विकास विशेषज्ञ/ राज्य संसाधन व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण पंचायत निर्णय एप का नवीन पर्यवेक्षण प्रपत्र तैयार कर समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को उपलब्ध करायेंगे। समस्त जिला संसाधन व्यक्ति पर्यवेक्षण प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायेंगे और पर्यवेक्षण के जिओ टेग फोटो सोसा... आधिकारिक व्हाट्सएप समूह में प्रेषित करेंगे।	SDS/ SRP's /DRP's

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.12.03 18:07:00 IST
Reason: Approved

5	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के भर्ती संबंधित।	1. समस्त जिला संसाधन व्यक्ति अपने जिलों में BRP/VRP के रिक्त पदों पर चयन/भर्ती प्रक्रिया शीघ्र कराने हेतु C.E.O. से वार्ता करेंगे। जिन जिलों में BRP का चयन हो चुका है एवं चयनित BRP ने पूर्व में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण किया है, उनकी सूची SSAAT मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। ताकि उनको सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। 2. जिलों में चयन/भर्ती प्रक्रिया शीघ्र कराने हेतु BRP की चयन प्रक्रिया में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि SSAAT की ओर से संबंधित जिले का DRP होगा। जिन जिलों में एक से अधिक DRP है, उन जिलों में प्रतिनिधि SSAAT से अनुमति उपरान्त नियुक्त किया जावेगा। 3. जिन जिलों में BRP चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई उन्हे जिलेवार अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया की ओर से पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए। 4. दौसा जिले में DRP द्वारा अवगत कराया गया कि BRP चयन प्रक्रिया की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई लेकिन BRP चयन की पत्रावली नहीं मिल रही है। इस संबंध में C.E.O. दौसा को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा, बारां, जोधपुर, एवं अलवर के DRP द्वारा अवगत कराया कि उन्हे परिषद की ओर से अन्य कार्यो का आवंटन किया हुआ है, ऐसे जिला संसाधन व्यक्तियों से अन्य कार्य नहीं करवाये जाने हेतु संबंधित C.E.O. को पत्र लिखने के निर्देश दिये गये। 5. BRP चयन/भर्त्ती किये जाने के लिए C.E.O./कलेक्टर करौली एवं पाली को पत्र लिखा जाना है।	SDS / DRP's Prashant Sharma (Jr. Acc.)
6	मासिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट।	1. एजेण्डा के अनुसार उदयपुर जिले की समस्त बिन्दुओं में प्रगति असंतोषजनक पाये जाने, DRP के समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहने, विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने के लिए श्री विक्रम सिंह, जिला संसाधन व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस जारी करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। 2. श्री दीपक कुमावत, जिला संसाधन व्यक्ति भीलवाड़ा के द्वारा पंचायत निर्णय एप के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने पर एक भी ग्राम पंचायत का पर्यवेक्षण नहीं किया गया, एवं समीक्षात्मक बैठक दिनांक 27/11/2025 में भी अनुपस्थित रहे हैं। श्री दीपक कुमावत DRP भीलवाड़ा को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिए गए। 3. समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहने वाले जिला संसाधन व्यक्तियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए।	C.A.O. / S.D.S, Darab Singh (लेखा सहायक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.12.03 18:07:00 IST
Reason: Approved

7	अन्य बिंदु	1. श्री नन्द लाल शर्मा, जिला संसाधन व्यक्ति बीकानेर के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण में BRP/VRP उपस्थिति एवं उनकों दिये जाने वाले मानदेय की समेकित रिपोर्ट बनाने हेतु तथा भुगतान की अनुशंषा करने हेतु एक्सेल शीट तथा सॉफ्टवेयर के संबंध में जानकारी दी गई। उक्तानुसार समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को मानदेय भुगतान हेतु एक्सेल शीट समेकित कर सम्बन्धित SRP को भेजने हेतु निर्देश प्रदान किये गये 2. अन्य समस्त एजेंडा बिन्दुओं पर निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	SRP's / DRP's

समीक्षात्मक बैठक के अन्त में निदेशक महोदय के द्वारा समस्त जिला संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन उद्देश्यों के अनुरूप समयबद्ध, अनुशासन एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(रतन लाल वर्मा)
मुख्य लेखाधिकारी एवं कार्यालय अध्यक्ष
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांकः एफ 61(418) SSAAT/SA/SRP/DRP Meeting/2025-26/ **दिनांकः यथा ई–हस्ताक्षरित**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक **(SSAAT)** जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक, एंव जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी एवं कार्यालय अध्यक्ष **(SSAAT)** जयपुर।
6. परियोजना अधिकारी (लेखा), समस्त राजस्थान।
7. सामाजिक विकास विशेषज्ञ **(SSAAT)** जयपुर।
8. राज्य संसाधन व्यक्ति समस्त **SSAAT** जयपुर।
9. जिला प्रभारी समस्त **(SSAAT)** जयपुर।
10. जिला संसाधन व्यक्ति, समस्त **(SSAAT)** जयपुर।
11. प्रोग्रामर **(SSAAT)** जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी एवं कार्यालय अध्यक्ष (SSAAT)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Verma
Designation : Chief Accounts Officer
Date: 2025.12.03 18:07:00 IST
Reason: Approved